



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 12.05.2024

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 144/24 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल व 03 हजार रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.05.2024 को थाना खेकडा पर वादी दिनेश पुत्र नरेश निवासी पट्टी अहिरान करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से वादी का मोबाइल रीयल मी व 03 हजार रुपये चोरी कर लिये हैं । इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 144/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 144/24 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल रीयल मी व 03 हजार रुपये नगद बरामद हुये हैं ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान पुत्र महबूब निवासी मौ० करवला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाइल फोन रीयल मी ।
- 03 हजार रूपये नगद ।

गिरफ्तार अभियुक्त फरमान का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 628/18 धारा 63/72 आबकारी अधि० थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. मु०अ०सं० 240/23 धारा 380/411/504 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. मु०अ०सं० 144/24 धारा 380/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० अबरार हुसैन थाना खेकड़ा ।
- 2-उ०नि०यूटी दिग्विजय सिंह थाना खेकड़ा ।
- 3-का० 24 तरुण कुमार थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 12.05.24

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तरस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तरस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार



अभियुक्त के कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

देवेन्द्र पुत्र रविदत्त निवासी ग्राम दौलतपुर थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 25 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 12.05.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 131/24 धारा
452/504/323/307/325 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.05.2024 को थाना बिनौली पर वादी दिनेश कुमार पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.प्रदीप पुत्र गोपीचन्द व 2.रवि पुत्र प्रदीप निवासीगण ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा



वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के परिजनो के साथ गाली-गलौच कर लाठी-डण्डों से जान से मारने की नियत से मारपीट की, जिससे वादी की माता का हाथ टूट गया तथा गम्भीर रूप से घायल हो गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 131/24 धारा 452/504/323/307/325 भादवि में पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 131/24 धारा 452/504/323/307/325 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रदीप पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 12.05.2024

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगा हुआ एक कैन्टर अशोक लीलैण्ड बरामदा

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बडौत की तरफ से आ रहे एक कैन्टर जिस पर कैन्टर की पहचान छिपाने के उद्देश्य से फर्जी नं0 UP 17 AT 8040 (सही नम्बर प्लेट नं0 UP 12 BT 2262) प्लेट लगी हुई के (चालक व उपचालक) 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगा कैन्टर अशोक लीलैण्ड बरामदा हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 118/2024 धारा 482/420 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. नीरज पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम निर्माणी थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर ।
2. कपिल पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम निर्माणा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी का विवरण-

- एक कैन्टर अशोक लीलैण्ड फर्जी नम्बर प्लेट लगा हुआ।
- 02 फर्जी नम्बर प्लेट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना रमाला जनपद बागपत
- 3-है0का0 571 रविन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक – 12.05.2024

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 116/24 धारा 323/307/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.05.2024 को थाना रमाला पर वादी धीरज पुत्र राजपाल सिंह निवासी मौ0 नांगल थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मोईन पुत्र तैय्यब निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा अपने हाथ में लिए सरिया से वादी के सिर पर जान से मारने की नियत से वार किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया । इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर



मु0अ0सं0 116/24 धारा 323/307/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 116/24 धारा 323/307/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहिन उर्फ मोईन पुत्र तैय्यब निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 180/20 धारा 11 (1) E3 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 272/273/429 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-मु0अ0सं0 186/22 धारा 307 भादवि (पु0मु0) थाना रमाला जनपद बागपत
- 3-मु0अ0सं0 187/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत
- 4-मु0अ0सं0 188/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 116/24 धारा 323/307/506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना रमाला जनपद बागपत
2. है0का0 571 रविन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत